विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-03/2021

श्री कपिल जैन, मकान क्रमांक 07, — **आवेदक/अपीलार्थी**
पटेल मार्केट के सामने, भानपुर चौराहा,
विदिशा रोड़, भोपाल (म.प्र.) — 462010

विरूद्ध

उपमहाप्रबंधक, — **अनावेदकगण/प्रति–अपीलार्थीगण**
शहर संभाग (पूर्व),
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
भोपाल (म.प्र.) — 462 001

आदेश

(दिनांक 30.09.2021 को पारित)

01. परिवादी/अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 42(6) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम चांदबढ़ भोपाल द्वारा पारित आदेश क्रमांक बी.टी. 58/2021 दिनांक 16.06.2021 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है । विद्वान फोरम द्वारा अपने आदेश के माध्यम से अपीलार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद को अस्वीकार किया गया था ।

02. परिवादी द्वारा विद्युत फोरम के समक्ष प्रस्तुत परिवाद में यह व्यक्त किया गया था कि उसके द्वारा विद्युत वितरण कम्पनी से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ क्रमांक कनेक्शन 2444012231 लिया गया था । परिवादी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि बिल की गणना करते समय गलती से उसके द्वारा जमा की गई 20000/— रू. की राशि गायब कर दी गई एवं 8000/— रू. की राशि बिल से कम नहीं की गई । परिवादी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि प्रकरण को निराकृत किए बिना एवं

उसे सूचना दिए बिना उसके कनेक्शन को काटा गया है । परिवादी द्वारा बिल संशोधित कर बिल प्रदान कराने एवं उसके द्वारा जमा की गई 20000/– रू. एवं 8000/– रू. की राशि का समायोजन करवाने एवं काटे गए कनेक्शन को जुड़वाएं जाने हेतु अनुतोष चाहा गया है ।

03. अनावेदकगण द्वारा अपने उत्तर में यह व्यक्त किया गया कि उपभोक्ता के कनेक्शन सर्विस क्रमांक 2444012231 की वर्तमान खपत एवं रीडिंग के आधार पर बिल उपभोक्ता को प्रदान किए जा रहे हैं। उपभोक्ता द्वारा 20000 रू. एवं 8000 रू. की जमा की गई राशि का समायोजन उसके विद्युत देयक में कर लिया गया है । उपभोक्ता को भानपुर जोन कार्यालय के पत्र क्रमांक 2404 दिनांक 28.01.2021 1932–33 दिनांक 17.08.2020 से विद्युत बिल न जमा करने की स्थिति में विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर तत्संबंध में उसे सूचना दी जा चुकी है । अतः परिवादी का परिवाद निरस्त करने योग्य है ।

04. आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार कर विद्वान फोरम द्वारा आदेश दिनांक 16.06.2021 द्वारा परिवादी के आवेदन को अस्वीकार किया गया है, जिससे व्यथित होकर परिवादी अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

05. परिवादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के अभ्यावेदन में यह व्यक्त किया गया है कि अनावेदकगण द्वारा बिल की गणना में गलती की गई है उसे ज्यादा राशि का बिल प्रदान किया गया है एवं उसके द्वारा जमा की गई राशि को कम मात्रा में घटाया गया है एवं प्रकरण को निराकृत किए बिना उसके व्यावसायिक कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया गया है । अपने अभ्यावेदन में अपीलार्थी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि अगस्त 2020 को प्रस्तुत सूची अनुसार अप्रैल 2015 से जुलाई 2020 तक कुल खपत 7845 बिल की राशि 56114 रू. है । उसके द्वारा जमा 73500 रू. की राशि समायोजित करने के पश्चात् भी उसे 52818 रू. का बिल दिया गया है जो पूर्णतः अनुचित है ।

06. मध्यप्रदेश मध्य क्षैत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड भानपुर द्वारा प्रस्तुत उत्तर में यह व्यक्त किया गया कि उपभोक्ता को प्रतिमाह मीटर की खपत एवं रीडिंग के अनुसार बिल प्रदान किए जा रहे हैं। उसके द्वारा जमा की गई 20000 रू. एवं 8000 रू. की राशि को विद्युत बिलों में समायोजित कर लिया है । उपभोक्ता को भानपुर जोन कार्यालय के पत्र क्रमांक 2404 दिनांक 28.01.2021 1932–33 दिनांक 17.08.2020 से विद्युत बिल जमा न करने के कारण उसके विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित करने की सूचना दी जा चुकी है । उपभोक्ता द्वारा भानपुर जोन कार्यालय को लिखित में विद्युत बिल को किस्तों में जमा करने का आवेदन भी दिया गया था जिसे दर्ज किया गया । उपभोक्ता द्वारा माननीय विद्युत लोकपाल को दिनांक 24.08.2017 को एक प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसे माननीय लोकपाल द्वारा खारिज कर दिया गया था ।

07. इस अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार है :–

01. क्या विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा परिवादी/अपीलार्थी की ओर से जमा की गई 20000 रू. एवं 8000/– रू. की राशि का उसके विद्युत देयकों में समायोजन करने में व्यतिक्रम किया गया है?
02. क्या अनावेदक द्वारा परिवादी/अपीलार्थी को अनुचित गणना कर विद्युत देयक प्रेषित किए गए?
03. क्या अनावेदक द्वारा परिवादी अपीलार्थी के कनेक्शन को अनुचित एवं नियम–विरूद्ध तरीके से विच्छेदित किया गया ?

: <u>सकारण निष्कर्ष</u> :

<u>विचारणीय प्रश्न – 1 :</u>

08. परिवादी/अपीलार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में व्यक्त किया गया है कि उसके द्वारा जमा की गई 20000 रू. की राशि का विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा समायोजन नहीं किया गया है एवं 8000 रू.

की राशि भी नहीं घटाई गई है । जहां तक 20000 रू. की राशि का समायोजन न करने का प्रश्न है, विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 29 फरवरी 2016 को जारी बिल में देय राशि 48373 रू. दर्शाई गई है, जिसमें पिछला बकाया 46747 दर्शाया गया है । इसके पश्चात् 01 अप्रैल 2016 को जारी बिल में यह स्पष्ट उल्लेख है कि 25 फरवरी 2016 को आवेदक द्वारा 20000 रू. की राशि का भुगतान किया गया है । इस बिल में पिछला बकाया राशि 26793 रू. दर्शाई गई है जबकि इसके पूर्व के बिल में अधिभार सहित सकल देय राशि 48373 रू. दर्शाई गई है । इससे स्पष्ट है कि 25 फरवरी 2016 को भुगतान की गई 20000 रू. की राशि को विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा एक अप्रैल 2016 को प्रेषित बिल में समायोजित कर लिया गया है। ऐसी दशा में परिवादी अपीलार्थी की यह दलील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है कि विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उसके द्वारा भुगतान की गई 20000 रू. की राशि का समायोजन नहीं किया गया है ।

09. जहां तक परिवादी/अपीलार्थी द्वारा अदा की गई 8000 रू. की राशि का बिल में से न घटाया जाने का प्रश्न है 26 फरवरी 2015 को प्रेषित बिल में विगत माह किए गए भुगतान के ब्यौरे में यह स्पष्ट उल्लेख है कि 12 फरवरी 2015 प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा 8000 रू. की राशि का भुगतान किया गया है । इस बिल के पूर्व दिनांक 28 जनवरी 2015 को जारी बिल को अधिभार सहित सकल देय राशि 14974 रू. होने का उल्लेख है, जबकि 26 फरवरी 2015 को प्रेषित बिल में पिछला बकाया 6965 रू. उल्लिखित है, इससे स्पष्ट है कि विगत माह के सकल देय राशि 14974 रू. में से 8000 रू. समायोजित करने के उपरान्त 26 फरवरी 2015 के बिल में पिछला बकाया के रूप में 6965 रू. की राशि दर्ज की गई है । ऐसी दशा में परिवादी अपीलार्थी की दलील भी स्वीकार योग्य नहीं है कि उसके द्वारा अदा की गई 8000 रू. की राशि का विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा समायोजन नहीं किया गया है । तद्नुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक – 1 नकारात्मक रूप में विनिश्चित किया जाता है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 :–

10. विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा परिवादी को प्रेषित समस्त बिल प्रस्तुत किए गए हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि 28 जनवरी 2015 को प्रेषित बिल के पश्चात् परिवादी अपीलार्थी को प्रत्येक माह के बिल प्रेषित किए गए हैं । परिवादी अपीलार्थी द्वारा 12 फरवरी 2015 को 8000 रू., 25 फरवरी 2016 को 20000 हजार रू. की राशि अदा की गई है । इसके पश्चात् 21 नवम्बर 2017 को 12000 हजार रूपए, 29 अप्रैल 2017 को 12000 रू., 3 जुलाई 2018 को 5000 रू. की राशि का भुगतान किया गया है । 4 नवम्बर 2017 को प्रेषित बिल में भुगतान अधिभार सहित सकल देय राशि 58266 रू. थी । उक्त सकल देय राशि से 12000 रू. का समायोजन कर एक दिसम्बर 2017 को सकल देय राशि 47098 दिनांक 29 दिसम्बर 2017 को भुगतान की गई 12000 रू. की राशि का विगत माह की सकल देय राशि 47098 एवं उस माह की देयक राशि 261 से समायोजन के पश्चात् 5 जनवरी 2018 को सकल देय राशि 35801 रू. का देयक जारी किया गया था । इसके पश्चात् विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्रत्येक माह विद्युत देयक जारी किया गया और उक्त देयकों का भुगतान न होने के कारण भुगतान अधिभार सहित देयक जारी किए जाते रहे हैं जो पूर्णतः विधिसम्मत हैं । इसके पश्चात् दिनांक 3 जुलाई 2018 को परिवादी द्वारा भुगतान की गई 5000/– रू. की राशि का समायोजन करने के पश्चात् अधिभार सहित सकल देय राशि 32495/– रू. का देयक जारी किया गया एवं तदोपरांत प्रत्येक माह अधिभार सहित देय राशि के देयक जारी किए जाते रहे हैं । विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा भुगतान न होने के कारण अधिभार सहित देय राशि के देयक जारी किया जाना किसी प्रकार अनुचित एवं नियम विरूद्ध नहीं कहा जा सकता हैं । इन परिस्थितियों में परिवादी/अपीलार्थी यह प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहा है कि अनावेदक द्वारा उसे गलत गणना कर बिल प्रेषित किए गए । तद्नुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक – 2 नकारात्मक रूप में विनिश्चित किया जाता है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 :–

11. जहां तक परिवादी/अपीलार्थी के कनेक्शन को विच्छेदित किए जाने का प्रश्न है, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड भानपुर जोन भोपाल द्वारा परिवादी को प्रेषित पत्र दिनांक 13.07.2020 के द्वारा यह सूचित किया गया था कि उक्त दिनांक को उपभोक्ता की ओर से 53478/– रू. विद्युत बिल बकाया है एवं बिल की पूर्ण रूप से जांच की जा चुकी है एवं बिलों में संशोधन की कोई संभावना नहीं है एवं इस संबध में फोरम एवं विद्युत लोकपाल द्वारा उपभोक्ता की याचिका खारिज की जा चुकी है । उक्त पत्र के माध्यम से आवेदक/अपीलार्थी को यह सूचित किया गया था कि वह जल्द–से–जल्द विद्युत बिल की राशि जमा करें अन्यथा उसका विद्युत विच्छेदन कर दिया जावेगा । उक्त सूचना पत्र के साथ विद्युत बिल की माह जुलाई 2020 की छायाप्रति संलग्न किए जाने का उल्लेख है । इस सूचना पत्र को प्रेषित करने के उपरान्त उपभोक्ता द्वारा तत्समय राशि जमा नहीं किए जाने की दशा में दिनांक 13.08.2020 को उपभोक्ता की विद्युत सप्लाई पोल से विच्छेदित कर दी गई एवं इस संबंध में थाना प्रभारी छोला रोड, भोपाल को इस आशय की सूचना दी गई कि यदि उपभोक्ता द्वारा किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाता है तो उसके विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाए । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 29.12.2017 के पश्चात् बकाया देयक के पेटे भुगतान न करने के कारण उसका कनेक्शन दिनांक 13.08.2020 को विच्छेदित किया गया ।

12. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 9.13 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि उपभोक्ता द्वारा भुगतान में चूक किए जाने पर अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व है कि वह अधिकतम 3 माह की अवधि में संयोजन को जारी न रखा जाना सुनिश्चित करें । वर्तमान मामलें में उपलब्ध विद्युत देयकों से यह स्पष्ट है कि दिनांकित 03.07.2018 को 5000/– रू. का अन्तिम बार भुगतान किया गया था । इसके पश्चात् लगभग 2 वर्षों तक भुगतान न किए जाने के कारण मध्यप्रदेश मध्य क्षैत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा परिवादी/अपीलार्थी के संयोजन को विच्छेदित किया गया है।

वर्तमान प्रकरण में उपभोक्ता द्वारा बिल की बकाया राशि का लगभग 2 वर्षों तक भुगतान न किए जाने के तथ्य को मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका 9.13 में वर्णित प्रावधान के आलोक में दृष्टिगत् रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ता के कनेक्शन को विच्छेदित किया जाना अनुचित अथवा नियम–विरूद्ध था । तद्नुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक – 3 नकारात्मक रूप में विनिश्चित किया जाता है।

अन्तिम निष्कर्ष :–

13. उपरोक्त वर्णित विवेचना से यह स्पष्ट है कि परिवादी/अपीलार्थी इस तथ्य को प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहा है कि विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा परिवादी/अपीलार्थी की ओर से जमा की गई 20000/– रू. एवं 8000/– रू. की राशि का उसके विद्युत देयकों में समायोजन करने में व्यतिक्रम किया गया । परिवादी/अपीलार्थी यह प्रमाणित करने में भी विफल रहा है कि अनावेदक द्वारा परिवादी/अपीलार्थी को अनुचित गणना कर विद्युत देयक प्रेषित किए गए है । परिवादी/अपीलार्थी यह प्रमाणित करने में विफल रहा है कि अनावेदक द्वारा उसके कनेक्शन को अनुचित एवं नियम–विरूद्ध तरीके से विच्छेदित किया गया । इन परिस्थितियों में परिवादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है ।

14. उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

15. आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल